मिसल हाजा पत्रावली बाद ले बैठक
बाद दि० 22-4-16 को पेश हो

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

S.R. Bachhawat

दिनांक	कार्यवाही	हस्ताक्षर
22.4.16	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप० वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 2 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो शामिल मिसल हो। प्रतिवादी सं० 4 उपस्थित आये। ... पेशकार होने से ... पेश रहे नहीं चाहते हैं। अतः प्रतिवादी सं० 4 तलब किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दि० 25/4/16 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.)	S.R. Bachhawat
25/4/16	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 29-4-16 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.)	24/4/16
29/4/16	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप० हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पृथक से निर्णय किया। बाद वाद ... सहायक कलक्टर (मु.) नागौर	

A 3/5

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम गोगेलाव के खसरा 261 में 3 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय पत्र दिनांक 30.1.2008 के अनुसार राजस्व नक्शे में भी तरमीम किया जावे। अंतिम फर्द डिक्री जारी हो। प्रतिलिपि निर्णय अमल के लिए तहसीलदार नागौर भेजी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	sd/- सहायक कलक्टर (मु.) नागौर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–ए.एच.गौरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 42/2011

शांतिराज पुत्र भीखमचन्द जाति बछावत ओसवाल निवासी घोडावतो की पोल, नागौर तहसील व जिला नागौर

वादी

बनाम

1. मोहम्मद ईशाक पुत्र रमजान जाति तेली निवासी गोगेलाव तहसील व जिला नागौर
2. मांगी पुत्री रमजान जाति तेली निवासी गोगेलाव तहसील व जिला नागौर हाल निवासी बरणगांव तहसील व जिला नागौर
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, नागौर
4. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय, नागौर

प्रतिवादीगण

उपस्थित –

1. श्री ठाकुर प्रसाद राठी एडवोकेट — वादी
1. श्री पीर मोहम्मद एडवोकेट — प्रतिवादीगण

राजस्व वाद बाबत घोषणा खातेदारी, बन्टवाडा खेताय एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,188 सपठित धारा 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांकः– 29.4.16

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व वाद बाबत घोषणा खातेदारी, बन्टवाडा खेताय एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 सपठित धारा 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

खसरा नम्बर 261 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा किस्म जमीन बाराणी द्वितीय ग्राम गोगेलाव तहसील व जिला नागौर में स्थित है जिसके तत्कालीन खातेदार रमजान पुत्र अलादीन जाति तेली मुसलमान था।

कृषि भूमि खसरा नम्बर 261 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा में सें 3 बीघा दक्षिणी पश्चिमी भाग जिसके उतर में– रमजान का बाकी बचा खेत का रकबा, दक्षिण में– इब्राहिम तेली का खेत, पूर्व में– रमजान का शेष खेत, पश्चिम में– सरकारी पडत की

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

जमीन है, उक्त भूमि को तत्कालीन खातेदार श्री रमजान ने वादी को वैध एंव पर्याप्त प्रतिफल पर विक्रय कर दी थी। जिसका विक्रय पत्र श्री रमजान के आम मुख्त्यार श्री कंवरीलाल पुत्र जीतराम जाति तेली हिन्दू निवासी नागौर वाले ने वादी के हक में निष्पादित कर कार्यालय उप पंजीयक नागौर के यहां पुस्तक संख्या एक, जिल्द संख्या 631, पृष्ठ संख्या 133 के क्रम संख्या 2008001022 पर दिनांक 30.1.2008 को पंजीबद्ध करवाया हुआ है। इस प्रकार से उक्त 3 बीघा कृषि भूमि का एकमात्र खातेदार एंव काबिज काश्तकार वादी बन गया था व है। विदित रहे कि जिस दिन उक्त 3 बीघा कृषि भूमि का विक्रयपत्र निष्पादित व पंजीबद्ध हुआ उसी दिन वादी को मौके पर भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। वादी ने अपने कब्जे के संबंध में मौके पर पट्टिये भी रोप ली थी।

वादी के हक में जब विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया गया था उस पंजीयन संबंधी प्रक्रिया में कृषि भूमि के विक्रय पत्र 3 प्रतियों में लिया जाता था। जिसकी एक प्रति संबंधित तहसीलदार व पटवारी को भिजवायी जाकर नामान्तरकरण करवाने की कार्यवाही की जाती थी उक्त समस्त कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा करवायी जाना होता था। जब वादी के हक में उक्त विक्रय पत्र निष्पादित होकर पंजीबद्ध हुआ उस समय उप पंजियक कार्यालय नागौर वाले ने वादी को यही कहा था कि नामान्तरकरण अपने आप चढ जायेगा इसलिए वादी इसी सदविश्वास में रहा कि उसके नाम खातेदारी अपने आप दर्ज हो जायेगी परन्तु राजस्व अधिकारियों एंव कर्मचारियों की भूलवश उक्त 3 बीघा कृषि भूमि के संबंध में नामान्तरकरण वादी के नाम दर्ज नहीं हुआ व श्री रमजान के नाम ही चलता रहा। इसी बीच रमजान का इन्तकाल हो जाने के कारण उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गया जो पूर्णतया गलत रूप से दर्ज हुआ है क्योंकि उक्त 3 बीघा कृषि भूमि का नामान्तरकरण वादी के नाम से दर्ज होना चाहिए था। उक्त कृषि भूमि के संबंध में वादी ने ऋण की सोची तथा दिनांक 9.3.2011 को रेकर्ड का पता कर जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर देखी तो वादी को इस बात का पता चला कि उसके नाम तो नामान्तरकरण ही दर्ज नहीं हुआ है। वादी ने तत्काल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से दिनांक 10.03.2011 को सम्पर्क कर उक्त म्युटेशन विक्रय पत्र के आधार पर भरवाने के संबंध में निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये उल्टा वादी को कहा कि उनके नाम से खातेदारी दर्ज है वे तो उक्त 3 बीघा कृषि भूमि को आगे बेचेगे व वादी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी करेंगें। उसी दिन वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 से सम्पर्क कर अपनी सारी समस्या बतायी परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ने कोई कार्यवाही करने से स्पष्टतः इन्कार कर दिया। इसलिए उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त 3 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

दर्ज करवाने हेतु घोषणा खातेदारी रेवेन्यू रेकर्ड में बंट का इन्द्राज करवाने हेतु बंटवाडा खेताय रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का यह वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वादी के समक्ष अन्य कोई वैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं है जिसका यह वाद है। वाद प्रस्तुत करने के उददेश्य से वाद हेतुक एंव वाद कारण अन्य तिथियों के अतिरिक्त दिनांक 30.1.2008 को विक्रय पत्र निष्पादित एंव पंजिबद्ध होने, दिनांक 9.3.2011 को खातेदारी दर्ज नहीं होने के तथ्य की जानकारी होने एंव दिनांक 10.3.2011 को प्रतिवादीगण द्वारा कोई कार्यवाही करने से स्पष्टतः इन्कार करने के दिन बमुकाम नागौर माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का उक्त वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय एंव डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार पारित फरमाने की कृपा करावें–

1. कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 261 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा में सें दक्षिणी पश्चिमी भाग रकबा 3 बीघा जिसके पडौस विक्रय पत्र दिनांक 30.1.2008 एंव वाद पत्र की मद संख्या 2 में अंकित है, वादी के खातेदारी कब्जे काश्त का घोषित किया जाकर उसी अनुसार के राजस्व रेकर्ड में बन्टवाडे का इन्द्राज करवाया जावें।
2. राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण संख्या 599 में उक्त 3 बीघा कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 2 के हक में जो भरा गया है, को दुरूस्त किया जाकर उक्त 3 बीघा भूमि तक इनके खातेदारी नामान्तरकरण को निरस्त घोषित किया जावें।
3. स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 261 में सें मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादी के उपयोग एंव उपभोग में कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी बाधा रूकावट या अवरोध प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावें। उक्त कृषि भूमि का आगे विक्रय या किसी भी प्रकार से अन्तरण स्वामियक बन्धक प्रतिवादीगण न तो स्वंय करे व न ही किसी अन्य से करावें।
4. वाद व्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।
5. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायहित में माननीय न्यायालय वादी को प्रतिवादीगण ने दिलवाना उचित समझे दिलवाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 11.04.2016 को राजीनामा प्रस्तुत कर वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 22.04.2016 को वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत कर वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति होना नहीं जाहिर किया।

प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार नागौर का सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित आयें। फोरमल पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं करना चाहते है। अतः जवाब बंद किया गया।

अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी एंव प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र व राजीनामें में वर्णित कथनों को दौहराया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादी ने यह वाद ग्राम गोगेलाव के खसरा नम्बर 261 की 20.05 बीघा में सें दक्षिण पश्चिम 3 बीघा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.01.2008 को खरीद की थी परन्तु इसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरण संख्या 599 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 261 की 20.05 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हो गई जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता रमजान पुत्र अलादीन के मुख्तयारआम श्री कवंरीलाल पुत्र जीतुराम के द्वारा वादी को 3 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.01.2008 को किया गया है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में तथ्यों को लेकर सहमति है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम गोगेलाव के खसरा नम्बर 261 में सें 3 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विक्रय पत्र दिनांक 30.01.2008 के अनुसार राजस्व नक्शे में भी तरमीम किया जावें। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.4.16 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ए. एच. गौरी)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

Judl./Civil

Part IV-10

A2

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत. सहायक कलक्टर (मु.) मुकाम नागौर बइजलास ए. एच. गौरी. आर. ए. एस.

शांतिराज पुत्र भीखमचन्द जाति बछावत ओसवाल निवासी घोडावतो की पोल, नागौर तहसील व जिला नागौर वादी

बनाम

1. मोहम्मद ईशाक पुत्र रमजान जाति तेली निवासी गोगेलाव तहसील व जिला नागौर
2. मांगी पुत्री रमजान जाति तेली निवासी गोगेलाव तहसील व जिला नागौर हाल निवासी बरणगांव तहसील व जिला नागौर
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, नागौर
4. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय, नागौर प्रतिवादीगण

राजस्व वाद बाबत घोषणा खातेदारी, बन्टवाडा खेताय एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,188 सपठित धारा 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मुकदमा नं 42 सन् 2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ———— बहाजरी ——— मिनजानिब मुदई ब ————

मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम गोगेलाव के खसरा नम्बर 261 में सें 3 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बीज ——— मुबलिग. ——— बाबत् ——— खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ——— फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. ——— .को अदा करें।

बसब्त मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.04.2016 को जारी की गई ।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प वकालात नामा	—	—
स्टाम्प वकालात नामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महनताना वकील पर	—	—
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	—	—
मुतफर्रिक	—	—			
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(र.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर